

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2701/2013

19/09/2014

प्रकरण प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री भावसिंह टंडन सूचना के बावजूद अनुपस्थित। वे दिनांक 22.5.14 को भी सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे। उन्हें आज की सुनवाई के लिए भी सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। परंतु प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, रायपुर की ओर से श्री यू0के0 चंद्रवंशी, उपपुलिस अधीक्षक, (प्रशासन) उपस्थित। उनका जवाब प्राप्त।

यह द्वितीय अपील, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक (अ0अ0वि0) श्री पी0 गौतम, पुलिस मुख्यालय छ0ग0 द्वारा प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 82/2013 में पारित आदेश दिनांक 26.7.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह द्वितीय अपील दिनांक 14.11.13 को हस्ताक्षरित है एवं 20.11.13 को आयोग में प्राप्ति की सील लगी है। द्वितीय अपील प्रथम अपील के विनिश्चय के 90 दिन में की जानी चाहिए। परंतु यह द्वितीय अपील 90 दिन के पश्चात् की गई एवं द्वितीय अपील आवेदन में न तो विलंब का कारण बताया गया और न ही उसमें हुए विलंब के लिए क्षमा का निवेदन किया गया। अतः समयबाधित होने के कारण यह द्वितीय अपील ग्राह्य न होने से अग्राह्य की जाती है।

आदेश तदनुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही /—
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त